पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-573
दिनांक- 09.04.2026

जोन-पूर्वी/ थाना-विकासनगर

- **जिला बदर की अवधि का उल्लंघन करने वाले 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

संक्षिप्त विवरण-

आज दिनाँक 09.04.2026 को थाना विकासनगर, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ पुलिस द्वारा जिला बदर अभियुक्त रजत चौधरी उम्र करीब 23 वर्ष पुत्र श्री राजेश चौधरी निवासी मकान संख्या ई-4/208 सेक्टर एम अलीगंज थाना विकासनगर, लखनऊ को थाना विकासनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया।

जाँच करने पर ज्ञात हुआ कि माननीय न्यायालय संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध और मुख्यालय) पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा वाद संख्या:-157(65)/2025 सरकार बनाम रजत चौधरी थाना विकासनगर के मामले में उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3 के अंतर्गत अभियुक्त रजत चौधरी को आदेश दिनांकित 31.10.2025 के माध्यम से 06 माह के लिए लखनऊ से जिला बदर घोषित करने का आदेश पारित किया गया था, उक्त आदेश की सूचना अभियुक्त को दिनाँक 04.11.2025 को करायी गयी थी तथा अभियुक्त द्वारा हस्ताक्षर बनाया गया था, पारित आदेश का ज्ञान, आशय एवं विश्वास होते हुए भी अपने आपराधिक प्रवृत्ति को और ज्यादा विस्तार देते हुये थाना विकासनगर क्षेत्र में उपस्थित होकर जानबूझकर उल्लंघन किया गया, उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1970 की धारा 3/10 के अन्तर्गत अपराध संख्या 70/2026 पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड स्वीकृत करते हुए जिला कारागार लखनऊ निरूद्ध किया गया।

02-मॉडस ऑपरेंडी:-

अभियुक्त द्वारा माननीय न्यायालय संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध और मुख्यालय) पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने का कृत्य किया गया है।

03-अभियुक्त का विवरण/नाम पता-

(1) रजत चौधरी उम्र करीब 23 वर्ष पुत्र श्री राजेश चौधरी निवासी मकान संख्या ई-4/208 सेक्टर एम अलीगंज थाना विकासनगर, लखनऊ।

04- पंजीकृत अभियोग का विवरण-

(1) मु0अ0सं0 70/2026 धारा 3/10 उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1970 थाना विकासनगर लखनऊ।

05-गिरफ्तार करने वाली थाना विकासनगर की पुलिस टीम-

1. उ0नि0 जितेन्द्र कुमार सिंह, बीट प्रभारी सब्जी मण्डी, थाना विकासनगर, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।
2. उ0नि0 विनोद कुमार, थाना विकासनगर, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।
3. मुख्य आरक्षी अनुज कुमार, थाना विकासनगर, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-577

दिनांक-09.04.2026

- **थाना सआदतगंज पुलिस द्वारा चोरी करने वाले 01 अभियुक्त एवं 02 बाल अपचारी को जनता के सहयोग से गिरफ्तार/हिरासत में लिया गया**
- **जनता द्वारी चोरी किये कीमती जेवरात(अनुमानित कीमत करीब 03 लाख रूपये) के साथ पकड़े।**

01-सक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 09.04.2026 को थाना सआदतगंज में आगन्तुक/वादी श्री वसी हुसैन पुत्र बाकर हुसैन नि0 385/30 फाजिल नगर घण्टा वेग गढैय्या थाना सआदतगंज लखनऊ मय हमराह 1.अस्करी हुसैन पुत्र बाकर हुसैन निवासी 2.अमान हुसैन पुत्र वसी हुसैन 3.नदीम हुसैन पुत्र नकी हुसैन के साथ अभियुक्तगण 01-आमिर उर्फ शालू पुत्र अमीर निवासी 386/33 रूस्तम नगर थाना सआदतगंज लखनऊ उम्र करीब 23 वर्ष व 02 बाल अपचारी क्रमशं उम्र करीब 17 वर्ष उम्र करीब 15 वर्ष को को लेकर आये तथा लिखित प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया कि उक्त अभियुक्त /बाल अपचारी द्वारा उनके घर में चोरी की गया जिनको हम सब लोगों ने पकड़ लिया गया, जिनके कब्जे से क्रमशः- **अभियुक्त आमिर उर्फ शालू** के कब्जे से 01 लाकेट लाल धागे- 3.6gm, 01 लाकेट गोलाकार 1.7 gm, 02 टूटी हुई गोलाकर सिलवर- 7.7 gm 01 जोड़ी पायल-43 gm, 02 कान के लटकन – 3.1gm दो कड़े छोटे-18.2 gm, **बाल अपचारी – उम्र करीब 17 वर्ष** के कब्जे से - 01 हेड बैड बैंगल 22.8 gm, 01 जोड़ी सौफ बन्द 36.8 gm, 01 टूटी हई सौफ बन्द 21 gm, 01 हार – 28.8 gm, 01 मंगल सूत्र काली मोती लगी हुई- 11.9 gm, 01 सौफ बन्द सिल्वर 25.8 gm , 02 हाथ के कड़ा- 44.6 gm, बरामद। **बाल अपचारी- उम्र करीब 15 वर्ष** के कब्जे से 01 जोड़ी छूमका टूटा हुआ - 13 gm, 01 मांग टीका टूटा हुआ – 8.1 gm, 02 पायल इस्तेमाली अलग –अलग - 31 gm, 02 हाथ के कड़ा -45.4 gm, 01 रिंग सिल्वर – 4.6 gm बरामद हुआ। उक्त जेवरात की अनुमानित कीमत लगभग- 3,00,000/- रुपये है।

वादी द्वारा प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 0073/2026 धारा 305/317(2)/331(4) बीएनएस पंजीकृत करते हुआ अभियुक्त आमिर उर्फ शालू उपरोक्त व 02 बाल अपचारी को नियमानुसार गिरफ्तार/ पुलिस संरक्षण में लिया गया। अभियुक्त व बाल अपचारीगण के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त/ संरक्षण में लिये गये बाल अपचारी का विवरण-

1.आमिर उर्फ शालू पुत्र अमीर निवासी 386/33 रूस्तम नगर थाना सआदतगंज लखनऊ उम्र करीब 23 वर्ष

2. बाल अपचारी (उम्र करीब 17 वर्ष)

3. बाल अपचारी (उम्र करीब 15 वर्ष)

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

साइबर क्राइम थाना, अपराध शाखा, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.- 571 | दिनांक- 09.04.2026

इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से ₹9,98,012/- की ठगी, साइबर थाना लखनऊ की तत्परता से शत-प्रतिशत रकम वादी को वापस कराई गई।

घटना का विवरण:

दिनांक 23.08.2025 को वादी श्री राजीव वर्मा पुत्र स्व0 मनेन्द्रनाथ वर्मा निवासी हाउस नं0-5/128, ई-ब्लॉक, राजाजीपुरम,लखनऊ के एसबीआई बैंक खाते से अज्ञात साइबर अपराधियों द्वारा इंटरनेट बैंकिंग हैक कर कुल ₹9,98,012/- (नो लाख अठ्ठानवे हजार बारह रुपये) की धनराशि अलग-अलग ट्रांजेक्शन के माध्यम से अवैध रूप से निकाल ली गई।

जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा काल करके YONO SBI अपडेट करने हेतु बात करके खाते से सम्बंधित डिटेल पूछकर आवेदक के खाते की क्रेडिंशियल लेकर आनलाइन कई ट्रांजेक्शन से नेट बैंकिंग/इंटरनेट बैंकिंग का दुरुपयोग करते हुए उक्त धनराशि अवैध रूप से निकाल ली गई।

इस संबंध में दिनांक 23.08.2025 को थाना साइबर क्राइम, लखनऊ पर अपराध संख्या 131/2025, धारा 318(4) बीएनएस व 66 सी आईटी एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

त्वरित पुलिस कार्यवाही-

श्रीमान् पुलिस आयुक्त, लखनऊ तथा श्रीमान् संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) के निर्देशन में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त (अपराध), श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध) एवं श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त (साइबर क्राइम) के कुशल पर्यवेक्षण में, साइबर क्राइम थाना लखनऊ पर पंजीकृत उक्त अभियोग में त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए **₹9,98,012/- (नो लाख अठ्ठानवे हजार बारह रुपये)** की धनराशी को वादी के खाते में वापस कराया गया।

इस सफल कार्यवाही पर वादी द्वारा साइबर क्राइम थाना लखनऊ पुलिस टीम के प्रति आभार व्यक्त किया गया है। मामले में आगे की वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

धनराशि बरामद/वापस कराने में सक्रिय अधिकारी/कर्मचारी –

1. प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार यादव साइबर क्राइम थाना लखनऊ।
2. निरीक्षक पंकज कुमार अम्बष्ट साइबर क्राइम थाना लखनऊ।
3. आरक्षी सतेन्द्र कुमार साइबर क्राइम थाना लखनऊ |

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट स0-575
दिनांक-09.04.2026

जोन- दक्षिणी/थाना-निगोहां

- **साथी मजदूर की पीट-पीट कर हत्या करने वाले 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **थाना निगोहाँ पुलिस टीम ने किया हत्या का सफल अनावरण।**

01-कार्यवाही का विवरण-

थाना निगोहाँ पुलिस द्वारा त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए युवक की संदिग्ध मृत्यु का सफल अनावरण करते हुए हत्या करने वाले उसके साथी मजदूर धनराज उर्फ टाटू को मुखबिर खास की सूचना पर अहिनवार जाने वाले रास्ते के पास पड़ने वाले बाग में घेराबन्दी कर गिरफ्तार कर लिया गया।

02-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 07.04.2026 को प्रातः लगभग 06.15 बजे सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र निगोहां के अंतर्गत ग्राम निगोहां में (निगोहां कस्बा से निगोहां गाँव से बेनीगंज जाने वाली सड़क के किनारे) एक अज्ञात व्यक्ति जिसकी उम्र करीब 25 वर्ष मृत अवस्था में पक्की सड़क के किनारे पड़ा है।

उक्त सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को क़ब्जे में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए शव पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया उक्त कार्यवाही में मृतक के परिवारिजन भी मौके पर थे जिससे मृतक की पहचान रैकिश पुत्र बुद्धा उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम नन्दौली थाना निगोहा लखनऊ के रूप में हुई। पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुआ जिसमें मृतक के शरीर पर मृत्यु से पहले 10 चोटें पाई गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण Shock and hemorrhage होना आया।

उक्त घटना के संबंध में मृतक के भाई लवकुश पुत्र बुद्धा निवासी ग्राम नन्दौली थाना निगोहा लखनऊ के द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0- 43/26 धारा 103(1) बी0एन0एस0 बनाम धनराज उर्फ टैटू पुत्र लक्ष्मण प्रसाद निवासी ग्राम निगोहा थाना निगोहा जनपद लखनऊ पंजीकृत किया गया !

03.विवेचना से सामने आए तथ्य-

विवेचना के क्रम में तथ्य सामने निकलकर आया है कि दिनांक-06.04.2026 को मजदूरी करने के बाद वापस आते समय मृतक रैकिश तथा धनराज उर्फ टाटू व नन्दकिशोर नें उतरठिया में ही शराब के ठेके पर शराब पी तथा उसके बाद मृतक रैकिश तथा धनराज उर्फ टाटू व नन्द किशोर ऑटो में बैठकर निगोहाँ कस्बे तक आए।

जिसके बाद नन्दकिशोर उपरोक्त ने मृतक रैकिश तथा धनराज उर्फ टाटू से अपने अपने घर जाने के लिए कहा तो धनराज उर्फ टाटू के द्वारा कहा गया कि तुम जाओ हम लोग अभी ठेके पर जाकर शराब पिएंगे उसके बाद अपने अपने घर जाएंगे जिसके बाद नन्दकिशोर उपरोक्त द्वारा कस्बा निगोहाँ स्थित मेडिकल स्टोर से दवा ली गयी तथा करीब 9.15 बजे नन्द किशोर ऑटो में बैठकर अपने घर चला गया। जिसके बाद मृतक रैकिश उपरोक्त तथा धनराज उर्फ टाटू नें ग्राम निगोहाँ में स्थित देशी शराब के ठेके पर जाकर शराब पी।

मृतक रैकिश ने अपनी पूरी शराब जल्दी से पी ली उसके बाद अभियुक्त धनराज उर्फ टाटू का भी पैक उठाकर पीने लगा तो धनराज उर्फ टाटू ने रैकिश के पास बचे 600 रुपये व उसका वन प्लस का एन्ड्रोएड मोबाइल ले लिए, जिसको वापस लेने के लिए आपस में मार पीट हुई।